सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 180/2018 दायर दिनॉक 30.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबूलाल पुत्र दुर्गादत्त, जाति–ब्राह्मण, निवासी–खारड़िया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. परमानन्द पुत्र दुर्गादत्त, 2. विनोद पुत्र राधेश्याम, 3. राहुल पुत्र राधेश्याम, 4. रचना पुत्री राधेश्याम, 5. मुन्नीदेवी पत्नी राधेश्याम, 6. कौशल्यादेवी पुत्री दुर्गादत्त, 7. मन्जूदेवी पुत्री दुर्गादत्त, 8. प्रहलाद पुत्र रामदयाल, 9. रामेश्वर पुत्र रामदयाल, 10. दामोदर पुत्र रामदयाल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–खारडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. मोहनराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 12. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 13. धन्नाराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 14. आईदानराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 15. भॅवरीदेवी उर्फ पुष्पा पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 16. भागोतीदेवी पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 17. किशनीदेवी पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 18. उगमादेवी पत्नी स्वर्गीय सेवाराम, 19. बेगाराम पुत्र भोलूराम, 20. शिवकरण पुत्र भोलूराम, 21. तुलछाराम पुत्र भोलूराम, 22. सन्तोष पत्नी स्वर्गीय हीराराम, 23. चेतन पुत्र स्वर्गीय हीराराम, 24. राकेश पुत्र स्वर्गीय हीराराम, 25. राधा पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 26. राधा पुत्री स्वर्गीय हीराराम, वादीगण संख्या 23, 24, 25 व 26 नाबालिग जरिये

-2-

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 130 / 2018
दायर दिनॉक 30.06.2018, निर्णय दिनॉक 30.06.2018
बाबुलाल बनाम् परमानन्द, वगैरा।

		संरक्षक माता सन्तोष प्रतिवादी संख्या 22 27. रामकरण पुत्र ज्ञानाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–चक खारडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 29. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद खारडिया के खसरा नम्बर 264 रकबा 05.16 बीघा व खसरा नम्बर 220 रकबा 43.12 बीघा व खसरा नम्बर 219 रकबा 44.12 बीघा भूमि अवास्थित है, जो कि, वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है।
प्रार्थना वादी है कि,

शरहद खारडिया के वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमि की खातेदारी नजरीनक्शा में दर्शित मुताबिक निम्नानुसार घोषित की जावेः–

1. खसरा नम्बर 219 रकबा 44.12 बीघा में से रकबा 17.10 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को व रकबा 03.02 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 प्रहलाद को व रकबा 16.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 26 को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 27 को खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 180 / 2018
दायर दिनाँक 30.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
बाबुलाल बनाम् परमानन्द, वगैरा।

2. खसरा नम्बर 220 रकबा 43.12 बीघा में से रकबा 08.12 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 प्रहलाद को व रकबा 17.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 09 रामेश्वर को व रकबा 17.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार घोषित किया जावे।
3. खसरा नम्बर 264 रकबा 05.16 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 08 प्रहलाद को खातेदार घोषित किया जावे।
4. प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 का उपर्युक्त खसरान् की भूमियों में से हटाया जावे।
5. वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 29 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 28 व 29 के बावजूद तामिगली के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 ने वाद में इकबालिया जवाब पेश किया व निवेदन किया कि, इकबालिया जवाब अनुसार दावा डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान् इस्तदुआ पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। ऐसी स्थिति में, दावानुसार वाद डिक्री किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 180 / 2018
दायर दिनाँक 30.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
बाबुलाल बनाम परभानन्द, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद शरहद खारड़िया के वादग्रस्त / वर्णित निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 219 रकबा 44.12 बीघा भूमि में से**, रकबा 17.10 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को व रकबा 03.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 16.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 26 को तथा रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 27 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 27 के हिस्से पर लिया गया ऋण यथावत रखा जाता है।
2. **खसरा नम्बर 220 रकबा 43.12 बीघा भूमि में से**, रकबा 08.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 17.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को तथा रकबा 17.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 264 रकबा 05.16 बीघा भूमि सम्पूर्ण** का प्रतिवादी संख्या 08 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 219, 220 व 264 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 का नाम, हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 180/2018 दायर दिनाँक 30.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र दुर्गादत्त, जाति–ब्राह्मण, निवासी–खारड़िया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. परमानन्द पुत्र दुर्गादत्त, 2. विनोद पुत्र राधेश्याम, 3. राहुल पुत्र राधेश्याम, 4. रचना पुत्री राधेश्याम, 5. मुन्नीदेवी पत्नी राधेश्याम, 6. कौशल्यादेवी पुत्री दुर्गादत्त, 7. मन्जूदेवी पुत्री दुर्गादत्त, 8. प्रहलाद पुत्र रामदयाल, 9. रामेश्वर पुत्र रामदयाल, 10. दामोदर पुत्र रामदयाल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–खारड़िया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. मोहनराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 12. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 13. धन्नाराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 14. आईदानराम पुत्र स्वर्गीय सेवाराम, 15. भँवरीदेवी उर्फ पुष्पा पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 16. भागोतीदेवी पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 17. किशनीदेवी पुत्री स्वर्गीय सेवाराम, 18. उगमादेवी पत्नी स्वर्गीय सेवाराम, 19. बेगाराम पुत्र भोलूराम, 20. शिवकरण पुत्र भोलूराम, 21. तुलछाराम पुत्र भोलूराम, 22. सन्तोष पत्नी स्वर्गीय हीराराम, 23. चेतन पुत्र स्वर्गीय हीराराम, 24. राकेश पुत्र स्वर्गीय हीराराम, 25. राधा पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 26. राधा पुत्री स्वर्गीय हीराराम, वादीगण संख्या 23, 24, 25 व 26 नाबालिग जरिये संरक्षक माता सन्तोष

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		प्रतिवादी संख्या 22 27. रामकरण पुत्र ज्ञानाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–चक खारड़िया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 29. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी**, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद शरहद खारड़िया के वादग्रस्त/वर्णित निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 219 रकबा 44.12 बीघा भूमि में से**, रकबा 17.10 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को व रकबा 03.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 16.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 26 को तथा रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 27 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 27 के हिस्से पर लिया गया ऋण यथावत रखा जाता है।
2. **खसरा नम्बर 220 रकबा 43.12 बीघा भूमि में से**, रकबा 08.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 17.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को तथा रकबा 17.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 264 रकबा 05.16 बीघा भूमि सम्पूर्ण** का प्रतिवादी संख्या 08 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 219, 220 व 264 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 का नाम, हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। बाबत.......... नीज..........–.......... मुबलिग..........–.......... ....–..........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट फोलोअप कैंप–डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner